छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण कमांक 581/2007

1. **श्री प्रमोद तिवारी,** – *अपीलार्थी*
   गांधी नगर, महावीर हाई स्कूल के पीछे,
   गुढियारी,
   रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** – *प्रति अपीलार्थी*
   कार्यालय सहायक पंजीयक फर्म एवं संस्थायें,
   रायपुर संभाग, ओ–05, अनुपम नगर,
   रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. ***जन सूचना अधिकारी,***
   सचिव, भातखण्डे ललितकला शिक्षा समिति,
   गुरूकुल परिसर, कालीबाड़ी रोड,
   रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 31 जनवरी, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने जन सूचना अधिकारी, कार्यालय सहायक पंजीयक फर्म एवं संस्थायें के समक्ष दिनांक 29.03.2007 को जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 29.03.2007 को ही सचिव, भातखण्डे ललितकला शिक्षा समिति, रायपुर को जानकारी देने के लिए पत्र जारी किया गया, किन्तु सचिव, भातखण्डे ललितकला शिक्षा समिति ने यह लिखकर की उन पर यह अधिनियम लागू नही होता जानकारी देने से इंकार किया, इससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 03.05.2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु वहॉं से कोई निर्णय नहीं होने के कारण उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 08.06.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में जन सूचना अधिकारी, सचिव, भातखण्डे ललितकला शिक्षा समिति को 15 हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा

दिनांक 06.12.2007 को प्रस्तुत किया गया, उत्तर में उनके द्वारा यह कहा गया है कि समिति को शासन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अनुदान प्राप्त नही होता है इसलिए उन पर यह अधिनियम लागू नही होता, किन्तु इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा तत्कालीन मध्यप्रदेश शासन, भू-परिमाप तथा बन्दोबस्त विभाग के आदेश दिनांक 04.03.1966 की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें उक्त समिति को रियायती सामान्य शर्तो पर भूमि पट्टा दिये जाने का उल्लेख है, जिसमें भू-भाटक का आठवां भाग का उल्लेख किया गया है और यह रियायत काफी अधिक राशि की हो जाती है । अतः इस आधार पर समिति को अप्रत्यक्ष रूप से राज्य शासन द्वारा अनुदान दिया जाना मान्य किया जाता है और इस आधार पर यह आवश्यक है कि समिति से यदि कोई सूचना मांगी जाती है तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उनके द्वारा प्रदान की जावे । अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि अब अपीलार्थी को चाही गई जानकारी समिति द्वारा 15 दिवस में निःशुल्क प्रदान की जावे । चूंकि प्रथम आवेदन सहायक पंजीयक फर्म एवं संस्थायें को प्रस्तुत किया गया था, अतः चाही गई जानकारी में से जो जानकारी उनके कार्यालय में उपलब्ध हो, वह जानकारी उनके द्वारा 15 दिवस में निःशुल्क प्रदान की जावे । चूंकि जन सूचना अधिकारी, सचिव, भातखण्डे ललितकला शिक्षा समिति द्वारा नियमों की व्याख्या करने में हुये भ्रम के कारण समिति द्वारा जानकारी देने से मना किया गया है, अतः उन पर शास्ति आरोपित करने की आवश्यकता प्रतीत नही होती है, अतः उक्त कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है, किन्तु विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से अपीलार्थी को राशि 300/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त